	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 01, मंगलवार, *शाके* 1948- अप्रेल 21, 2026 Vaisakha 01, Tuesday, Saka 1948- April 21, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, जनवरी 27, 2026

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1031:- सां.आ.152/2026 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जायें। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 465 दिनांक 27.10.1994 एवं 243 दिनांक 12.01.1995 को अधिक्रमित करते हुए उक्त नियम के अनुसरण में निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अध्याय 4, 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरंपच एवं पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को, उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में ''पं.रा.सं.'' अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित कर, मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा;

और यत: उपरोक्त नियमों में ऐसा कोर्इ उपबन्ध विद्यमान नहीं है कि मतों की गणना के समय यदि ऐसे मतपत्र पाये जावें जो कि पैरा 01 में निर्दिष्ट के अनुसार अनुप्रमाणित नहीं किये हुए हो तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे संदिग्ध मतपत्रों के लिए किस प्रकार विनिश्चय करें और उनके समक्ष कठिनार्इ उत्पन्न होगी;

अत: राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क द्वारा कठिनार्इयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में जो मतपत्र पैरा 1 में निर्दिष्ट रीति से यानी उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर से वर्गाकार आयतन के अन्दर ''प.रा.सं.'' से स्टाम्पित न किये हुए हों और जिन

पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हो तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जावेगा, परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई है तो ऐसे मतपत्रों को नामंजूर नहीं किया जावेगा।

आज्ञा से,

राजेश वर्मा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।